न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
(जिला भीलवाड़ा राज.)

पीठासीन अधिकारीः–गोविन्द सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः–106/2016(2016/00080) प्रार्थना पत्र

अनवान

1–गजेन्द्रकुमार आत्मज चान्दमल बोलिया (महाजन) निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1–हस्ती गुरू पावन धाम स्र्माक समिति रायपुर जरिये अध्यक्ष पारसमल आत्मज भुरालाल पिपाड़ा (महाजन) निवासी आमेसर तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
2–राधेश्याम आत्मज बालुराम झंवर निवासी रायपुर हाल निवासी 1–54 (एन) आर.सी.व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा
3–शंकर लाल आत्मज नंगजीराम गुर्जर निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4–श्रीमती सीता देवी पत्नि लेहरू लाल कुमावत निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5–श्रीमती रिया देवी पत्नि भंवर लाल कुमावत निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6–राजकुमार आत्मज चान्दमल बोलिया (महाजन) निवासी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा हाल लापता
7–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट.

उपस्थित
1. हरीश टेलर– अधिवक्ता प्रार्थी
2. जाकिर हुसैन– अधिवक्ता विपक्षीगण संख्या 1, 3 लगायत 5

निर्णय दिनांक 28.02.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी व विपक्षी संख्या 6 व अन्य के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की कुषि आराजी संख्या 3491 रकबा 0.26 हे0 भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 तक मय नक्शा ट्रेस के साथ प्रस्तुत है। प्रार्थी की उक्त वर्णित कृषि आराजी संख्या 3491 में संज, बैलगाडी, ट्रैक्टर, पैदल आदि सहित आवागमन ग्राम रायपुर से गगांपुर जाने वाली सडंक से होकर आगे सड़क से उत्तर दिशा में सटमा स्थित विपक्षी संख्या की आराजी संख्या 3489 व विपक्षीगण संख्या 2 लगायत 5 की आराजी संख्या 3490 के मध्य की पाली पर होकर करते चले आ रहे है जिसको करीब 5 वर्ष से भी अधिक का समय हो गया है इससे पूर्व प्रार्थी अपने परिवार सहित अपनी भूमि में इसी रास्ते से आवागमन करते थे तथा विपक्षी संख्या 1 की आराजी संख्या 3489 में एक नहर भी निकली हुयी थी जिसके सहारे सहारे भी आवागमन करते थे तथा आराजी संख्या 3489 पूर्व में हमारे ही भाई बन्ध रोशन लाल आत्मज लक्ष्मी लाल बोलिया निवासी रायपुर की खातेदारी की थी किन्तु विपक्षी संख्या 1 वने उसको पावनधाम स्र्माक बनाने हेतु अन्य आराजियात के साथ कय कर लिया है `जसमे विपक्षी संख्या 1 द्वारा मौके पर ग्राम रायपुर में स्थित आराजी संख्या 3489,3488,3487,3486,3485 का एक ही चक बनाकर उसके चारौ तरफ पक्की दिवार बना दिया केवल प्रार्थी की आराजी संख्या 3491 की तरफ दिवार नही है तथा पक्की दिवारे बनाकर करीब 1 वर्ष से विपक्षी सख्यां की आराजी संख्या 3489 की दक्षिणी मेड़ पर सड़क के पास सीमेन्टेड पक्की दिवार बनाकर पार्थी की आराजी में आवागमन का रास्ता करीब 1 वर्ष पूर्व बन्द कर दिया तब प्रार्थी ने मना किया तो विपक्षी संख्या 1 ने कहा की तुम दिवार में लगे दरवाजे से होकर अन्दर की तरफ ही चले जाना किन्तु फिर विपक्षी संख्या 1 ने पक्के कमरो का निर्माण कर दिया जिसके पूर्वी तरफ विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 की आराजी संख्या 3490 पर उसकी पूर्वी तरफ व दक्षिणी मेड़ पर पत्थरो का कोट चुनवा

दिया जिससे प्रार्थी की भुमि में आने जाने का रास्ता साफ बन्द हो गया है विपक्षी संख्या 1 द्वारा उसकी आराजी संख्या 3489 की परी मेड़ पर रास्ता की भुमि को छोड़रखा जो करीब 10 फिट है किन्तु सड़क के पास 1 फिट भी नही है जिस पर भी पक्की दिवार है जिससे प्रार्थी का आवागमन पूर्ण रूप से बाधित है व बन्द है इस कारण प्रार्थी की उक्त भूमि में आवागमन करने का एक मात्र रास्ता विपक्षी संख्या 1 आराजी संख्या 3489 की पुर्वी मेड़ व विपक्षी संख्या 2 लगायत 5 की आराजी 3490 की पश्चिमी मेड़ यानि आराजी संख्या 3489 व 3490 के मध्य कुल 20 फिट चौड़ाई में विस्तार करते ही सुगम व निकटतम रूप से मौजुद है जिसके अभाव में प्रार्थी उसकी भूमि को उपयोग उपभेाग नही कर पायेगा जिससे उक्त रास्ता प्राथी के लिये आत्यन्तिक आवश्यकता का रास्ता है। प्रार्थी की भुमि में आवागमन करने का अन्य कोई रास्तसा मौके पर उवपलब्ध नही है जिससे भी उक्त वर्णत रास्ता दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। प्रार्थी इस हेतु नियमानुसार डीएलसी उर से राशि प्रति कर के रूप में जमा कराने को तैयार है। आराजी संख्या 3490 के खातेदार द्वारा ही विपक्षी संख्या 2 व 3 व नेनुदेवी पत्नि हरलाल तेली निवासी पांलरा को टुकड़ो में विक्रय कर देने से तथा नेनु देवी नेविपक्षी संख्या 4 व 5 को विक्रय कर देने से भूमि उनके नाम पर है इस आराजी के बटा नम्बर 4471/3490 ,4472/3490 ,4504/3490 विक्रय के बाद कायम किया है किन्तु नक्सें में तरमिमात नही होने से सभी खातेदारो को पक्षेार बनायसा गया है। प्रार्थी की आराजी संख्स 3491 के खातेदार मिश्रीलाल आत्मज बगतावरमल महाजन व सुगनदेवी बेवा चान्दमल महाजन भी है किन्तु उनकी मृत्यु हो जाने से उनका नामान्तरणकरण नही खुल पाया किन्तु मिश्रीलाल अविवाहित ला औलाद फोथ है तथा उनके सभी के वारिष प्रार्थी व विपक्षी राजकुमार है तथा राजकुमार विपक्षी संख्या 6 विगत 22 वर्ष से लापता है जिससे यह पार्थना पत्र पार्थी द्वारा ही प्रस्तुत किया जा रहा है । रास्ते की भुमि विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 के नाम पर दर्ज रहने व उनके द्वारा रास्ता बन्द कर देने से तथा विपक्षी संख्या 6 उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु उपलब्ध नही होने से व विपक्षी संख्या 7 लैण्डहोल्डर होने से पक्षेार बनाया गया है। वर्तमान मे भी विपक्षी संख्या 1 की आराजी संख्या 3489 की दक्षिणी मेड़ पर दिवार में लगी फाटक (दरवाजे) से ट्रेक्टर ले जाकर फिर पूर्वी मेड़ पर छुटे हुए रास्ते की भूमि से होकर प्रार्थी ने उसकी भुमि में फसल बोई है किन्तु दिनांक 18.07.16 को विपक्षी संख्या 1 ने मना कर दिया की आज के बाद इस रास्ते से आवागमन किया तो तुम्हारे खिलाफ झुठे मुकदमे दर्ज करायेंगे व लड़ाई झगड़ा करेंगे क्योकि यह रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है जिससे आवश्यक दस्तावेज निकलवाकर निकलवाकर यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी को पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। बिनाय प्रार्थनापत्र दिनांक 18.07.2016 से उत्पन्न होकर निरंतर जारी है। और यह प्रार्थनापत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 24.08.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1, 3, 4, 5, की और से अधिकार पत्र जाकिर हुसैन अधिवक्ता का पेश किया जो शामिल फाईल किया गया विपक्षी संख्या 2 व 6 बावजुद सुचना के उपस्थित नही है अतः एक तरफा कार्यवाही की जा चुकी है और विपक्षी संख्या 1, 3, 4, 5 ने प्रार्थी के बताये अनुसार कोई रास्ता उनकी आराजियात में नही बताया तथा पार्थी के आवागमन का रास्ता हस्ती गुरू पावन धाम के पश्चिम दिशा में स्थित रास्ते में होंकर फिर उत्तर दिशा में जाकर आराजी संख्या 3484 में होकर बताया तथा इस पर मौका रिपोर्ट तहसीलदार रायपुर को 7 बिन्दुओ पर पेश करने हेतु लिखा गया तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट दिनांक 01.01.2018 को तैयार की जाकर दिनांक 03.01.2018 को इस न्यायालय में पेश हुयी जो शामिल पत्रावली की गई।

प्रस्तुत तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट के अनुसार तहसीलदार रायपुर व उनकी टीम मौके पर पहुची तो निम्न मौके की स्थिति का वर्णन करते हुए यह रिपोर्ट प्रस्तुत की ग्राम रायपुर की आराजी नम्बर 3491 में जाने के लिये वर्तमान में कोई रास्ता नही है मौके पर रास्ते केनिशान मौजुद नही है अतः रास्ता बन्द है या चालु का पता नही लग रहा है परन्तु मौके पर उपस्थित प्रार्थी ने जहा रास्ता बताया वो बन्द है मौके पर विवादित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है तथा वर्तमान में आराजी नम्बर 3491 में किधर से भी आया जाया नही जा रहा है अर्थात पूर्णतया बन्द है आराजी नम्बर 4383/3489 रकबा 0.15 किस्म कु.तृतीय में से 64 वर्गमीटर एवं आराजी नम्बर 3488 रकबा 0.26 हैक्ट. किस्म भू.गो. मे से 80 वर्गमीटर भूमि आती है जिनकी वर्तमान डीएलसी दर 194500 रूपया प्रतिबिघा है आराजी नम्बर 4383/3489 में 16 मीटर एवं आराजी नम्बर 3488 में 20 मीटर लम्बाई अर्थात कुल 36 मीटर लम्बाई में रास्ता है। वर्तमान में मौके पर रास्ता मोजुद नही अतः नक्से में ब्लयु ईक से दर्शाया

जाना संभव नही है तथा प्रार्थी जहा रास्ता चाहता है उसे नक्सा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। मौके पर प्रस्तावित वैकल्पिक रास्ता आराजी नम्बर 4471/3490 रकबा 0.04 हैक्ट. किस्म कु.द्वितीय मे से होकर सड़क आराजी नम्बर 2249 से सीधे आराजी नम्बर 3491 में जाने के लिये हों सकता है चूकि सड़क एवं आराजी नम्बर 3491 के बीच स्थित आराजी नम्बर 4471/3490 मे 34 मीटर लम्बाई की आवश्यकता है उवं चौड़ाई 4 मीटर है अर्थात 136 वर्गमीटर भूमि वैकल्पिक प्रस्तावित रास्ते मे आती है आराजी नम्बर 4471/3490 रकबा 0.04 हैक्ट. खातेदार राधेश्याम पिता बालुराम झंवर महाजन के नाम दर्ज रिकार्ड है।

मैने प्रार्थी के अधिवक्ता व विपक्षी संख्या 1 एवं 3 लगायत 5 की बहस सुनी तथा विपक्षी 2 व 6 पूर्व में बाद सुचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने उनकी आराजी में आवागमन करने हेतु रास्ता देने कसा निवेदन करते हुए प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को पुनः दौहराया और तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट में वर्णित तथ्यो को भी दौहराया और यह निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजी संख्या 3491 में आवागमन बाबत् मौके पर कोई रास्ता नही है तथा प्रार्थी अपने आराजी में आवागमन करने व उसका उपयोग करने व फसल काश्त करने से वछिंत हो गया है तथा विपक्षीगण द्वारा मौके पर चारौ तरफ पक्का निर्माण करा दिया गया है ऐसी स्थिति में प्रार्थी को उसकी आराजी में संज बैल ट्रेक्टर पेदल आदि सहित आवागमन करने हेतु 20 फिट चौड़ाई में समुचित रूप से दिलाया जावे। इसके विपरित विपक्षी संख्या 1 व 3 लगायत 5 के अधिवक्ता ने तर्क दिया की हमारी आराजियात में कोई रास्ता प्रार्थी के आवागमन हेतु नही है और प्रार्थी ने हमें परेशान करने के लिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है विपक्षीगण के अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि तहसीलदार साहब रायपुर की जो रिपोर्ट आयी उसमें उनकी आराजियात में रास्ता को बन्द बताया तथा रास्ते के निशानात नही बताये और हमारी आराजियात जो रास्ते की भूमि प्रस्तावित की है वह 36 मीटर की लम्बाई मे है तथा इससे निकटतम रास्ते की प्रस्तावित भूमि विपक्षी संख्या 2 आराजी संख्या 4471/3490 में 34 मीटर लम्बाई में प्रस्तावित की है जो सबसे कम है और आराजी संख्या 4471/3490 मे रास्ता प्रार्थी को आवागमन हेतु देने कम भुमि काम आयेगी ऐसी स्थिति मे रास्ता विपक्षी संख्या 2 की आराजी संख्या 4471/3490 मे ही दिलाया जाना न्यायोचित है विपक्षी संख्या की आराजी संख्या 3489, 3488 व विपक्षी संख्या 3, 4, 5 की आराजी संख्या 4472/3490 तथा 4504/3490 मे कोई रास्ता नही है।

मैने पत्रावली व उसमे प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा मामला रास्ते संबधित होने से तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश की गई रिपोर्ट का भी अवलोकन किया जिससे मैने यह पाया कि प्रार्थी की आराजी संख्या 3491 में आवागमन करने हेतु कोई रास्ता बना हुआ नही है तथा मौके पर रास्ता बनद है प्रार्थी के बताये अनुसार विवादित रास्ता बन्द है तथा प्रार्थी के पास अन्य अकोई वैकल्पिक रास्ता नही है तथा प्रार्थी की आराजर संख्या 3491 में किधर से भी आया जाया नही जा रहा है अर्थात रास्ता पूर्णतया बन्द है तथा आराजी संख्या 4383/3489, 3488 मे कुल 36 मीटर लम्बाई मे रास्ता में भुमि जाती है व इसके विकल्प मे आराजी संख्या 4471/3490 में यदि रास्ता दिया जाता है तो उसमें केवल 34 मीटर भूमि जाती है जो निकटतम है तथा इसमे भुमि भी कम उपयोग में आयेगी और यह रास्ता प्रार्थी के खेत आराजी संख्या 3491 में सड़क की आराजी संख्या 2249 से होकर व विपक्षी संख्या 2 की आराजी संख्या 4471/3490 से होंकर सीधी ही आवागमन किया जा सकता है जिससे प्रार्थी के आराजी संख्या 3491 में आवागमन करने हेतु सड़क की आराजी संख्या 2249 से होकर आगे विपक्षी संख्या 2 की आराजी संख्या 4471/3490 रकबा 0.04 हैक्ट. में तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट में प्रस्तावित नक्से अनुसार 4 मीटर चौडाई में 34 मीटर लम्बाई में रास्ता बिलानाम किया जाकर प्रार्थी को दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हुं। अतः

आदेश

ग्राम रायपुर तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की आराजी नम्बर 3491 में आवागमन के लिये आराजी नम्बर 4471/3490 में तहसीलदार रायपुर की प्रस्तावित रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 7 व प्रस्तावित नक्से मे प्रस्तावित बिन्दु संख्या 7 प्रस्तावित वैकल्पिक रास्ता के अनुसार 4 मीटर चौड़ाई में तथा 34 मीटर लम्बाई में रास्ता डी.एल.सी. दर प्रति बीघा 194500/—रूपये या वर्तमान डीएलसी के

अनुसार विपक्षी संख्या 2 राधेश्याम पिता बालु राम झंवर महाजन को बतौर मुआवजा भुगतान करने तथा राज्य कोष में जमा कराने पर रास्ता बिलानाम दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है। तहसीलदार रायपुर को तहरीर जारी हो।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 28.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा